आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

08/04/15

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

जमाबंदी सुधार वाद संख्या–594/2012–13

रघुनाथ प्रसाद
बनाम
जामुन राम वगैरह

आदेश

अंचल अधिकारी, सिकटा के पत्रांक 108 दिनांक 04.03.2013 से प्राप्त विविध वाद संख्या–08/2012–13 के आधार पर यह वाद प्रारम्भ किया गया है। अंचल अभिलेख के आदेश फलक दिनांक 21.02.2013 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रघुनाथ प्रसाद बनाम जामुन राम द्वारा दाखिल धारा–145 द०प्र०स० वाद संख्या–1256 एम/07 में पारित आदेश के आलोक में वाद प्रारम्भ किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा आदेश फलक में लिखा गया है कि आवेदक रघुनाथ प्रसाद, पिता–स्व० छोटेलाल साह, ग्राम–परसा द्वारा आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त वाद में पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए आदेश के आलोक में कार्रवाई करते हुए प्रश्नगत भूमि पर हक दिलाने का अनुरोध किया गया है। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, नरकटियगंज द्वारा पारित आदेश में अंचल अधिकारी, सिकटा को आदेशित किया गया है कि एक ही जमीन की लगान रसीद दो पक्षों के नाम से क्यों निर्गत है? इसकी जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करें।

अंचल अधिकारी, सिकटा ने उक्त आदेश के आलोक में हल्का कर्मचारी से राजस्व कागजात के आधार पर प्रतिवेदन की माँग की गई। हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–एकडहरी मंगलपुर, थाना संख्या–317 के अर्न्तगत खाता संख्या–254, खेसरा संख्या–835 रकबा 1.68 एकड़ भूमि का जमाबंदी संख्या–1474 रकबा 14 कट्ठा 17 धूर बनाम रघुनाथ प्रसाद, पिता–छोटेलाल प्रसाद दर्ज है। इस जमाबंदी का सृर्जन दाखिल खारिज वाद संख्या–370/94–95 के आधार पर किया गया है। जमाबंदी संख्या–1725 रकबा 0.68 एकड़ बनाम रामाज्ञा ठाकुर के नाम पर दाखिल खारिज वाद संख्या–350(A)/03–04 के आदेशानुसार सृजित

है। जमाबंदी संख्या–1726 बनाम शेषनाथ बैठा दाखिल खारिज वाद संख्या–350(A)/03–04 के आधार पर सृजित है। जमाबंदी संख्या–1727 रकबा 0.50 एकड़ बनाम जामुन राम दाखिल खारिज वाद संख्या–350(A)/03–04 के आधार पर सृजित है। इस प्रकार जमाबंदी संख्या–1725, 1726, 1727 का खाता संख्या–254 खेसरा संख्या–835 है। इस सभी जमाबंदियों में निहित भूमि मूल जमाबंदी संख्या–392 से घटाकर सृजित किया गया है। प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि खाता संख्या–254, खेसरा संख्या– 835, कुल रकबा 1.68 एकड़ के विरूद्ध 3.16 एकड की जमाबंदी कायम है।

अंचल अधिकारी, सिकटा ने हल्का कर्मचारी से प्रतिवेदन के आधार पर शेषनाथ बैठा, रामाज्ञा ठाकुर तथा जामुन राम के नाम से सूचना निर्गत कर कारणपृच्छा की माँग की गई। इनलोंगो के तरफ से भूदान यज्ञ कमिटि से प्रदत्त पर्चा की छायाप्रति दाखिल की है। अंचल अधिकारी, सिकटा ने शेषनाथ बैठा, रामाज्ञा ठाकुर तथा जामुन राम के नाम निर्गत भूदान पर्चा का सत्यापन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया से कराया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया ने अपने पत्रांक 1237 दिनांक 22.12.2012 द्वारा सूचित किया गया कि इनलोंगो के नाम से निर्गत पर्चा तथा पर्चा में नामित भूदाता का नाम सत्यापन पंजी में नहीं है।

अंचल अधिकारी, सिकटा ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि रघुनाथ प्रसाद के नाम पर सृजित जमाबंदी संख्या–1474 रकबा 14 कट्ठा 17 धूर दाखिल खारिज वाद संख्या–370/94–95 के आदेशानुसार कायम है। जमाबंदी संख्या–1474 का सृजन मूल जमाबंदी संख्या–392 से हस्तांतरित करके हुआ। मूल जमाबंदी संख्या–392 में निहित रकबा 1.68 एकड़ था, इस जमाबंदी से भूमि को घटाकर कर जमाबंदी संख्या–1474 का सृजन हो जाने के पश्चात् जमाबंदी संख्या–392 शून्य हो गया। पुनः इसी जमाबंदी संख्या–392 से नया जमाबंदी संख्या–1725, 1726 एवं 1727 का सृजन करना किसी प्रकार से सही नहीं है तथा निरस्त करने के योग्य है।

अतः अंचल अधिकारी, सिकटा ने जमाबंदी संख्या–1474 को यथास्थान रखते हुए वर्ष 2003–04 में सृजित जमाबंदी संख्या–1725, 1726 एवं 1727 को निरस्त करना विधि संगत बताते हुए अभिलेख को

28/11/15

इस कार्यालय में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजा है।

अंचल अधिकारी, सिकटा से अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् इसे विचारण हेतु अंगीकृत किया गया तथा संबंधित पक्षकरों को सुनवाई हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी द्वारा कारणपृच्छा दाखिल किया गया है।

आवेदक रघुनाथ प्रसाद द्वारा जवाब दाखिल किया गया है कि ग्राम–मंगलपुर, थाना–सिकटा, अवस्थित जमीन जिसका खाता संख्या–254, खेसरा संख्या–835, रकबा 14 कट्ठा 17 धूर है। यह जमीन आवेदक ने बजरिये बैनामा दिनांक 10.08.1978 को खतियानी रैयत के वारिस शेख अलि इमाम से प्राप्त किया, जिसका दाखिल खारिज होकर उनके नाम से जमाबंदी संख्या–1474 कायम हुआ है। इसी जमीन पर मंगलपुर गाँव के ही शेषनाथ बैठा, रामाज्ञा ठाकुर एवं जामुन राम नें अपने को भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा जमीन हासिल करने की बात कहते हुए प्रश्नगत जमीन पर दखल अन्दाजी करना शुरू किये, जिसको लेकर आवेदक ने स्थानीय थाना–सिकटा में आवेदन दाखिल किया, जिसके आधार पर थानाध्यक्ष सिकटा ने दिनांक 24.08.2007 के द्वारा उक्त भूमि पर धारा–144 द०प्र०स० की कार्रवाई करने का प्रतिवेदन समर्पित किया। जिसके आधार धारा–144 द०प्र०स० के अर्न्तगत कार्रवाई कर उसे धारा–145 द०प्र०स० के अर्न्तगत परिवर्तित कर दोनों पक्षों को सुनने एवं गवाहों की गवाही लेकर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, नरकटियागंज ने अंचल अधिकारी, सिकटा को आदेश दिया कि एक ही भूमि की लगान रसीद दोनों पक्ष के नाम से निर्गत है। इसकी जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करे।

आवेदक का कहना है कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी, नरकटियागंज के उक्त आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, सिकटा ने कार्रवाई प्रारम्भ कर दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत करने के पश्चात् दिनांक 21.03.2013 को आदेश पारित किया, कि जमाबंदी संख्या–1474 को यथास्थान रखते हुए वर्ष 2003–04 में सृजित जमाबंदी संख्या–1725, 1726 एवं 1727 को निरस्त करना विधि सम्मत है। आवेदक का कहना है कि जमाबंदी संख्या–1725, 1726 एवं 1727 सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है। अतः उन्होंने जमाबंदी संख्या–1725, 1726 एवं 1727 को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

08-4-15

विपक्षी द्वारा कारणपृच्छा दाखिल किया गया है। विपक्षीगण का कहना है कि वर्त्तमान वाद की कार्रवाई अनुमण्डल दण्डाधिकारी, नरकटियागंज के धारा–145 द०प्र०स० के अर्न्तगत रघुनाथ प्रसाद बनाम जामुन राम वगैरह से संबंधित वाद संख्या–256/07 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2012 के आलोक में अंचल अधिकारी, सिकटा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ की गई है। विपक्षीगण का कहना है कि रघुनाथ प्रसाद ने प्रश्नगत भूमि वर्ष 1978 में शेख अलि ईमाम से निबंधित बैनामा द्वारा हासिल किये है तथा उनके दखल कब्जा को लेकर विपक्षीगण से झकड़ा–झझट करते है, जिसके कारण प्रश्नगत जमीन को लेकर धारा–145 द०प्र०स० के अर्न्तगत परिवर्त्तित कर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा कार्रवाई की गई।

धारा–145 द०प्र०स० के अर्न्तगत भूदान यज्ञ कमिटी के कार्यालय मंत्री मोतिहारी द्वारा पत्रांक 13 ख/09–17 दिनांक 09.05.2009 द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन भेजा है कि विवादित जमीन से संबंधित शेषनाथ बैठा, जामुन राम एवं रामाज्ञा ठाकुर को जमीन प्रदान की गई है। जिसका प्रमाण–पत्र संख्या 661926, 661925 एवं 661927 रकबा क्रमशः 0.50 डिसीमल, 0.50 डिसीमल एवं 0.68 डिसीमल भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा खेती के कार्य करने हेतु निर्गत है। यह जमीन मु० सेरावानी, जौजे–अब्दुल रहमान के द्वारा भूदान में दिनांक 26.06.1954 को दान में दिया गया, जिसका पर्चा विपक्षीगण को मिला है एवं पर्चा के आधार पर उन लोगों के नाम से जमाबंदी कायम की गई है। विपक्षीगण द्वारा प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा बतलाया है। विपक्षीगण द्वारा यह भी कहा गया है कि जब प्रश्नगत जमीन वर्ष 1954–55 में ही रैयत के द्वारा भूदान यज्ञ कमिटी को दान कर दिया गया तो फिर दान देने वाले व्यक्ति या उनके वंशज को कोई अधिकार किसी के पक्ष में बिक्री करने का नहीं है। अतः उनका कहना है कि आवेदक रघुनाथ प्रसाद एवं उनके विक्रेता जालसाजी के तहत् भूदान वाली जमीन की खरीद बिक्री किये है वह बिलकुल गैर कानूनी है। अतः उन्होंने रघुनाथ प्रसाद के नाम से कायम जमाबंदी संख्या–1474 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सूना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कगजातों का अवलोकन किया। वाद संख्या–1256/07

09-4-15

धारा–145 द०प्र०स० रघुनाथ प्रसाद बनाम् जामुन राम में अनुण्मडल दण्डाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा दिनांक 17.02.2012 को पारित आदेश की प्रतिलिपि दाखिल की गई है। जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि विवादित भूमि प्रथम पक्ष को निबंधित बैनामा दस्तावेज के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर प्रथम पक्ष अपना रसीद कटाते है, द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि का पर्चा भूदान यज्ञ कमिटि से प्राप्त है, जिसके आधार पर अंचल कार्यालय, सिकटा द्वारा जमाबंदी निर्माण लगान रसीद निर्गत किया गया है। एक ही भूमि को दोनों के नाम लगान रसीद निर्गत राजस्व नियमों का उल्लघंन है। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, नरकटियागंज ने उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुए अंचल अधिकारी, सिकटा को आदेश दिया कि एक ही भूमि का लगान रसीद दोनों पक्षों के नाम क्यों निर्गत है? इसकी जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करें।

विपक्षी द्वारा दाखिल किये गये कागजात की छायाप्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जामुन राम, शेषनाथ बैठा एवं रामाज्ञा ठाकुर को बिहार भूदान यज्ञ कमिटी से जमीन प्राप्त हुई है एवं उनके नाम से जमाबंदी कायम की गई है। व्यवस्थापक भू–वितरण कैम्प बेतिया द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की छायाप्रति दाखिल की गई है। इसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि भूदाता मु० सेरवानी, जौजे–शेख अब्दुल रहमान द्वारा भूदान में दिनांक 24.06.1954 को खाता संख्या– 254 खेसरा संख्या–835 के अतिरिक्त अन्य खेसराओं की जमीन जिसका कुल रकबा 12 एकड़ है, भूदान में दिया गया है। विपक्षी द्वारा एक दूसरे प्रमाण–पत्र की छायाप्रति दाखिल की गई है, जिसमें लिखा गया है कि दाता मु० सेरावानी द्वारा भूदान में आचार्य विनोवा भावे को वर्ष 1954–55 में 12 एकड़ जमीन दान दिया गया है, जिसकी सम्पूष्टि वर्ष 1957 में राजस्व न्यायालय, बेतिया द्वारा हो चूकी है।

अंचल अधिकारी, सिकटा के अभिलेख दिनांक 21.03.2013 के आदेश फलक के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मूल जमाबंदी संख्या–392 में निहित रकबा 1.68 एकड़ था, इस जमाबंदी से भूमि को हटाकर जमाबंदी संख्या–1474 का सृजन हो जाने के पश्चात् जमाबंदी संख्या–392 शून्य हो गया तो पुनः जमाबंदी संख्या–392 से नया जमाबंदी संख्या–1725, 1726 एवं 1727 का सृजन सही नहीं है।

08-4-15

आवेदक के नाम से वर्ष 1978 में जमीन बिक्री के आधार पर जमाबंदी कायम की गई है, जबकि वही जमीन मालिक द्वारा वर्ष 1954 में भूदान में दान स्वरूप दे दिया गया है, जिसका वितरण विपक्षीगण के बीच कर दिया गया है और उनके नाम से कायम की गई जमाबंदी की जमीन को मूल जमाबंदी संख्या–392 से घटाया गया है, जिसमें जमीन थी ही नहीं। अंचल अधिकारी, सिकटा ने अभिलेख दिनांक 21.02.2013 के आदेश फलक में लिखा है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया से शेषनाथ बैठा, रामाज्ञा ठाकुर एवं जामुन राम के नाम से निर्गत भूदान पर्चा का सत्यापन कराया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया ने अपने पत्रांक 1237 दिनांक 22.12.2012 द्वारा अंचल अधिकारी, सिकटा को, सूचित किया कि उक्त तीनों व्यक्तियों के नाम निर्गत पर्चा तथा पर्चा में नामित भूमि का नाम सत्यापन पंजी में नहीं है। इस पत्र के आधार पर अंचल अधिकारी, सिकटा ने यह निष्कर्ष निकाला की प्रस्तुत पर्चा विधि संम्मत नहीं है तथा इस पर्चा के आधार पर सृजित जमाबंदी विधि संगत नहीं है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, सिकटा के अनुशंसा के आलोक में विपक्षी रामाज्ञा ठाकुर, शेषनाथ ठाकुर एवं जामुन राम के नाम से कायम की गई जमाबंदी संख्या–1725, 1726 एवं 1727 रकबा 0.68 डिसीमल, 0.50 डिसीमल एवं 0.50 डिसीमल को निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, सिकटा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

08-5-15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

08-5-15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।